रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072022-237283 CG-DL-E-14072022-237283

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3028] No. 3028] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 14, 2022/आषाढ़ 23, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14, 2022/ASHADHA 23, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2022

सं 61 /2022- सीमाशुल्क (गै.टै.)

का. आ. 3186(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 की उप-धारा (34) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1क), (4) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना संख्या 26/2022-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 31 मार्च, 2022 जिसे का. आ. 1542 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा. यथा.-

"4क	उप निदेशक, राजस्व आसूचना या सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना	धारा 109क"

4698 GI/2022 (1)

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. स. 450/72/2021-सीमाशुल्क IV (पार्ट)] आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 26/2022-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 31 मार्च, 2022, का.आ. 1542 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गयी थी और दिनांक 4 अप्रैल, 2022 के शुद्धिपत्र जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1601 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2022, के तहत प्रकाशित किया गया था के साथ पठित।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2022

No. 61/2022-Customs (N.T.)

S.O. 3186 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1A), (4) and (5) of section 5 read with clause (34) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 26/2022 – Customs (N.T.), dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O.1542 (E), dated the 31st March, 2022, namely:-

In the said notification, in the Table, after S.No.4 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

" 4A.	Deputy Director of Revenue Intelligence or Assistant Director of Revenue	Section 109A".
	Intelligence	

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No.450/72/2021-Cus IV (Part)]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy.

Note : The principal notification No.26/2022-Customs (N.T.), dated 31st March 2022, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 1542(E), dated the 31st March 2022 read with corrigendum dated 4th April, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 1601(E), dated the 4th April, 2022.